

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट
श्री पूराराम पुत्र श्री सगताजी जाति रेबारी निवासी मूरी तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही। क्रिस्म मुकदमा- स्थगन प्रार्थना-पत्र		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा
दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	मुकदमा नं. 195 वर्ष 2020 नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11.11.2020	प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के मुकदमा सं. 02/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ-साथ धारा 81 के तहत यह स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के निर्णय में सजा के आदेश की क्रियान्विति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.12.2020 को पेश हो।	
28.12.2020	अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत की अपील में सिविल कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
		जिला कलक्टर, सिरोही
		(भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही

